न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 13/2015

श्री चान्द सिंह
पुत्र श्री रामचन्द्र जाति दरोगा
निवासी ग्राम भिनाय तहसील
भिनाय जिला अजमेर

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार

अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1975

———

उपस्थित :–1. श्री राकेश अरोड़ा वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 13.05.2016

संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकारसे है कि सम्वत 2072 मे श्री चांद सिंह पुत्र श्री रामचंद्र जाति दरोगा निवासी ग्राम भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर ने ग्राम भिनाय के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1325 कुल रक्बा 15–91 हैक्टर में से 0.13 हैक्टर भूमि पर अनधिकृत रूप से बाड लगा कर व पो बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार भिनाय के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 02/2015 पंजीबद्ध कर वाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 24.08.2015 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के साथ ही सामग्री जब्त कर नीलाम करने के आदेश दिये गयं। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी अक्षेपीय आदेश दिनांक 24.08.2015 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मे उठाये गये बिन्दूओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस एंव राजस्व रेकार्ड को नजरअंदाज कर साइक्लोस्टाईल किये आदेश में कॉलम की पूर्ति कर दी गई जो आदेश की क्षेणी मे नहीं आता है। उनका आगे कथन है कि अपीलान्ट विवादित भूमि पर सदभाविक रूप से काबिज काश्त है उक्त भूमि पर उनका बाडा बना हुआ है तथा पो बनाकर करने के साथ ही साथ फलदार वृक्ष लगा रखे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विवादीत अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आक्षेपीय आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान R.B.J. 1995 पेज 460 पर उच्चतम न्यायालय द्वारा एंव R.B.J. 2006 पेज 291 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए आगे कथन किय कि विवादित भूमि के गत खसरा सं0 541 मिन जिसके गत खसरा सं0 304 मिन रहे पर अपीलाण्ट बहैसियत खातेदार काबिज काश्त रहा है। आराजीयात खसरा सं0 304 जो कि 10 बीघा आराजीयात का पट्टा जागीर के समय से अपीलाण्ट के नाम रहा है, में 6 बीघा 3 बिस्वां 10 बिस्वांसी आराजीयात अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज की गई व शेष आराजीयात अन्य व्यक्तियों की खातेदारी में दर्ज कर दी गई जिसके लिये उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष नियमित राजस्व वाद विचाराधीन है। गत खसरा सं0 304 में से उक्त रकबे को घटाकर भू संशोधन में नया नं0 542 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा (0.87 हैक्टर) कर दिया व इसके नवीन नं0 खसरा सं0 1326 रकबा 0.87 हैक्टेयर अपीलाण्ट की खातेदारी में दर्ज है जबकि रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी (1.00 हेक्टेयर) होना था अर्थात 15 बिस्वा 10 बिस्वांसी (0.13 हेक्टेयर) जिसके नये नं0 541 एवं नवीनतम नं0 वर्तमान में 1325 (15.19 हेक्टेयर) मे सम्मिलित है जो कि प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से स्पष्ट है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि विवादित भूमि से लगती हुई अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1327 रकबा 0.45 व खसरा नम्बर 1328 रकबा 0.17 स्थित है जिस पर एक मात्र अपीलान्ट का कब्जा काश्त रहा है। उपखण्ड अधिकारी के निर्देशनुसार दिनांक 23.03.2011 को तैयार किए गये मौका पर्चा अनुसार उक्त कब्जा गत 40 वर्षों से पुराना होना अंकित किया है उनका यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा स्वंय की खातेदारी की आराजियात में कमी पेशी कर खसरा नम्बर 1325 सरकारी खाते में अंकन किये जाने बाबत तथा सूचना के अधिकार के तहत रिपोर्ट चाहे जाने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण के परिपेक्ष्य में अपीलान्ट दादाजी की खातेदारी का रकवा 16 बीघा 3.5 बिस्वा मे से भू संशोधन करते समय सहवन से सरकारी खाते मे दर्ज होना वर्णित किया है। अन्त मे उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे तथा अपील तहसीलदार भिनाय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जावे कि वे अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर नये सिरं से विधि सम्सत आदेश पारित करें।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब के लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड के सिवायवन्द्र दर्ज है तथा

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट बहैसियत अतिक्रमी विवादित भूमि पर काबिज है। अपीलान्ट का यह कथन कि वे विवादित भूमि पर पुराने समय से सदभाविक रूप से काबिज है जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुयार अपीलान्ट

का अतिक्रमण नया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से व्यक्त है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक अंकित है तथा अपीलान्ट विवादित भूमि पर बहैसियत अतिक्रमी काबिन है जहां वक भू प्रबंध विभाग द्वारा सैटलमेन्ट के दौरान गलत खातेदारी गलत रूप से अपीलान्ट की खातेदारी भूमि को सिवायचक दर्ज करने का प्रश्न है अपीलान्ट को अपील के माध्यम से कोई अनुतोष नही दिया जा सकता। इसके लिए अपीलान्ट सक्षम न्यायालय मे वार्द दायर कर राजस्व रेकार्ड में संशोधन करवाने हेतु स्वंतत्र है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट सारणीक होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 13.05.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner